

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर
क्रमांक:-ई-18/एम/134/से.नि./जोन-जोधपुर/2024/
दिनांक :-

आदेश

श्री प्रभुराम मीणा, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाणेराव, जिला पाली (जिनकी सर्विसबुक अनुसार जन्म तिथि 11.05.1964 है) को राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.05.2024 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभुराम मीणा, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाणेराव, जिला पाली के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/134/से.नि./जोन-जोधपुर/2024/89
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी, डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पत्र क्रमांक 392 दिनांक 12.01.2024 के क्रम में।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

दिनांक :- 23/4/2024

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0जयपुर

RajKaj Ref
6632408



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.04.23 18:08:48 IST
Reason: Approved